हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–60859-63 शिमला–171009 दिनांक 25.9,2020.

## अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–55174–177 दिनांक 26.08.2020 के अन्तर्गत, जिला सिरमौर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सिरमौर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः जिला सिरमौर की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

| क0 सं0 | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है। | कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हाने वाले ग्रामों के नाम। | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है। | कोष्ठ संख्या–5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | विकास खण्ड का नामः–राजगढ़ | | | | | | |
| 1. | भुईरा | 1. थानाधार | भाट का स्याना | शलाणा | 1. शलाणा | 1. थानाधार | |
| | | 2. भुईरा | | | 2. राजगढ़ | 2. भुईरा | |
| | | 3. थनोगा | | | 3. भाट का स्याना | 3. थनोगा | |
| | | 4. भाट का स्याना | | | | | |

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–60859-863 शिमला–171009 दिनांक 25.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला–02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–09